(ङ) लगी पूंजी पर 5 प्रतिशत का निवल लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की संख्या 45 थी।

औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4330. **श्री राम मोहिन्दर सिंह**

श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिकत क्षेत्र में हुए कुल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगा है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1997-98 के लिए इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों ने इनमें किये गये पूंजी निवेश के पांच प्रतिशत के बराबर भी लाभ नहीं कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो इन्होंने कितने प्रतिशत लाभ कमाया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार, जिस अवधि के लिए सूचना उपलब्ध है, औद्योगिक प्रतिष्ठान जोकि विभागीय उपक्रमों सहित सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, इनमें औद्योगिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश का लगभग 31 प्रतिशत निवेश किया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने लगाई गई पूंजी पर प्रतिशत के रुप में 5.1 प्रतिशत लाभ अर्जित किया था।

स्वरोजगार हेतु खादी ग्रागोद्योग द्वारा ऋण दिया जाना

4331. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव**:

श्री नामणि:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गी तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वरोजगार दिलाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं को कियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग की परियोजनाएं किसी भी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरंभ की जा सकती हैं। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांगों के मामले में दिया जाने वाला अनुदान अन्य वर्गों से अधिक होता है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों वर्ग के अंतर्गत रोजगार के राज्य-वार अनंतिम ब्यौरे विवरण के रुप में संलग्न है (नीचे देखिये)। तथापि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य वर्गों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा. के सर्वाधिक लाभानुभोगी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा उद्योग के विभिन्न कार्यकलापो में संकेन्द्रित है। इस उद्योग के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसे स्थानों पर परियोजनाएं क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जहां पर अनुसूचित जाति के चमड़े के कार्य के दस्तकारों की बहुल्ता हो। प्रारंभ में यह विचार था कि 200 परियोजनाएं स्थापित करके 2.00 लाख दस्तकारों को रोजगार प्रदान किया जाए। खादी और ग्रामद्योग आयोग की सीमांत धन योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग वर्गों के लाभानुभोगी को अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीमांत धन प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगारों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	(लाख व्यक्ति) कुल खादी और ग्रामोद्योग रोजगार	(लाख व्यक्ति) अनुसूचित जाति/ जनजाति का भाग
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.74	1.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1.16	0.37
4.	बिहार	3.58	1.14
5.	गोवा	0.06	0.01
6.	गुजरात	1.10	0.35
7.	हरियाणा	0.96	0.30